न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00168

दुर्गाशंकर आत्मज स्व0 गोपीलाल जाति तेली निवासी कालामाल हाल निवासी ओधन्धा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. लाडबाई पत्नी स्व0 श्री कैलाश चन्द हाल पत्नी भैरूलाल जाति तेली निवासी ग्राम रामपाली तहसील सरवाड जिला अजमेर ।
2. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेन्द्र जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 30.07.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.10.2020 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम ओधन्दा तहसील हिण्डोली में खसरा नम्बर 674/859 रकबा 02 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी क्रम 01 के नाम खातेदारी में दर्ज है । वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का स्व0 पति श्री कैलाश चन्द सगे भाई हैं । दोनों ने अपनी आमदनी से ग्राम ओधन्दा की कृषि भूमि खसरा नम्बर 674/859 व 674/868 को संयुक्त रूप से पडत से फाडकर कृषि योग्य बनाया था । उक्त भूमि दोनों भाईयों की सहमति से प्रतिवादी क्रम 01 के पति के नाम दर्ज करवायी गई थी । सम्पूर्ण भूमि पर काश्त वादी ही करता था

और वादी ने उक्त भूमि को आवंटित करवाया । प्रतिवादी कम 01 के स्व0 पति कैलाश से उनके जीवनकाल में कोई संतान पैदा नहीं हुई और प्रतिवादी कम 01 ने कैलाश को छोडकर वर्ष 1998 में भैरूलाल से विवाह कर लिया । प्रतिवादी कम 01 द्वारा भैरूलाल से विवाह कर लेने से उनका वादग्रस्त आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है और न ही वादग्रस्त आराजी पर उनका कब्जा रहा है । वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी कम 01 के नाम दर्ज चली आने से उसके मन में बदयान्ति आ गई और वह उक्त भूमि को बेचान करने एवं वादी को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा हो गयी है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी में से प्रतिवादी संख्या 01 का नाम विलोपित करवाकर वादी स्वयं को खातेदार घोषित करावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का नाम दर्ज करावे ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण का नाम विलोपित किया जाकर वादी का नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजी से वादी को बेदखल नहीं करें उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं अन्यथा खुर्द–बुर्द नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.10.2020 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.10.2020 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर कोई विवेचन नहीं किया है । वादी व वादी के गवाह से कोई जिरह प्रतिवादी द्वारा नहीं करने से वादी की साक्ष्य अखण्डित रहने के बावजूद भी तनकी संख्या 01 को वादी के विरूद्ध निर्णित किया है । कैलश की मृत्यु के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 01 अन्य व्यक्ति भैरूलाल के नाते चली इसलिए उनका उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है । वादग्रस्त आराजी पर वादी अपीलान्ट काबिज काश्त है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.10.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी अपीलान्ट ने खसरा नम्बर 674/589 की रकबा 02 बीघा वाके ग्राम ओधन्धा तहसील हिण्डोली पर खातेदारी हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाा का वाद प्रस्तुत किया था जिसमें यह कथन किया था कि वादी और प्रतिवादी संख्या 01 लाडबाई का पति कैलाश दोनों सगे भाई हैं । साथ–साथ रहते थे और संयुक्त आमदनी से वादग्रस्त आराजी को समतल किया था । आराजी खसरा नम्बर 674/860 वादी के नाम और खसरा नम्बर 674/859 प्रतिवादी के नाम दर्ज करवायी थी । कैलाश के जीवनकाल में प्रतिवादी कम 01

लाडबाई ने भैरूलाल से विवाह कर लिया । कैलाश के कोई संतान नहीं है । वादग्रस्त आराजी पर वादी का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है । कैलाश की मृत्यु दिनांक 13.05.99 को हो चुकी है । लाडबाई का इस आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है । परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 01 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की थी । त्रुटिपूर्ण रूप से दावा वादी खारिज किया गया है । वादी की साक्ष्य की विवेचना नहीं की गई है । प्रतिवादी के द्वारा वादी के गवाह से कोई जिरह नहीं की गई है । वादी की साक्ष्य अखण्डित रही है । प्रतिवादी का वादग्रस्त आराजी में कोई अधिकार नहीं है फिर भी दावा वादी खारिज किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.10.2020 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2000–01 (सप्ली0) पेज 245 उद्वरत की ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । वादी के द्वारा परीक्षण न्यायालय में दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया है । दावे में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि कैलाश के जीवनकाल में ही प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा भैरूलाल से विवाह कर लिया था । कैलाश लाऔलाद फौत हुआ है । कैलाश की आराजी पर कब्जा वादी का है । अतः उनके पक्ष में दावा डिक्री किया जावे ।

9. पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2066–69 के अनुसार वादग्रस्त आराजी लाडबाई जोजे कैलाश की गैर खातेदारी में दर्ज है और इसमें खसरा नम्बर 674/859 पर नामान्तरकरण संख्या 667 का नोट अंकित है जिसके अनुसार उनको खातेदारी प्रदान की गई है । नकल जमाबन्दी संवत् 2062–65 के अनुसार खसरा नम्बर 674/860 की आराजी वादी के खाते दर्ज है ।

10. परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 01 के अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई । दावे के समर्थन में वादी के द्वारा शपथ पत्र दुर्गाशंकर पीडब्ल्यू–1, मदन लाल पीडब्ल्यू–2, राधाकिशन पीडब्ल्यू– 3, रामदेव पीडब्ल्यू– 4 पेश किये गये हैं परन्तु इन शपथपत्रों की गवाहों ने न्यायालय में उपस्थित होकर ताईद नहीं की है ।

11. वादी के द्वारा यह कथन करते हुए दावा पेश किया गया है कि प्रतिवादी क्रम 01 ने कैलाश के जीवनकाल में ही भैरूलाल से विवाह कर लिया था । वादी के द्वारा जो मौखिक साक्ष्य पेश की गई है उसमें मात्र शपथ पत्र पेश किये हैं । न्यायालय में उपस्थित होकर शपथग्रहिताओं ने अपने शपथ पत्रों की ताईद नहीं की है । यद्यपि जो शपथ पत्र गवाहों के पेश किये गये हैं वो सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार मौखिक साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं फिर भी दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। रामदेव के द्वार अपने शपथ पत्र में यह कथन किया गया है कि लाडबाई ने भैरूलाल से नाता विवाह किया है जिसको 15–16 वर्ष हो चुके हैं । शपथ पत्र दिनांक 15.11.2019 को दिया गया है और वादी के द्वारा कैलाश की मृत्य की तिथि अपील में 13.05.1999 लिखी है । इस शपथ पत्र के अनुसार लाडबाई कैलाश की मृत्यु के बाद ही नाते गई है । एक अन्य शपथ पत्र राधाकिशन ने पेश किया गया है जिसमें उनके द्वारा यह कथन किया गया है कि लाडबाई 25–26 वर्ष पूर्व नाते गई है । वादी के द्वारा अपने शपथ पत्र में यह कथन किया है कि विगत 13 वर्षों से लाड बाई भैरूलाल से विवाह करके रामपाली में रहती है उसका वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं है । इस प्रकार लाड बाई के नाता विवाह के वर्ष के बारे में वादी एवं उसके गवाहों के कथनों में विरोधाभास है । वादी के स्वयं के

शपथ पत्र के अनुसार कैलाश की मृत्यु 1999 में हुई है और लाड बाई 13 वर्ष से रामपाली में रहती है । इसका आशय यही निकलता है कि वो कैलाश की मृत्यु के बाद नाते गई है । वादी को अपना दावा स्वयं सिद्ध करना होता है । वादी संदेह से परे यह सिद्ध नहीं कर पाये हैं कि लाडबाई कैलाश बाई के जीवनकाल में ही नाते चली गई थी । वादग्रस्त आराजी की खातेदार लाडबाई है और कब्जे के आधार पर वादी को इसका खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.10.2020 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 30.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/7/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2020/00168

दुर्गाशंकर आत्मज स्व0 गोपीलाल जाति तेली निवासी कालामाल हाल निवासी ओधन्धा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——**अपीलार्थी**

बनाम

1. लाडबाई पत्नी स्व0 श्री कैलाश चन्द हाल पत्नी भैरूलाल जाति तेली निवासी ग्राम रामपाली तहसील सरवाड जिला अजमेर ।
2. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।

——**प्रत्यर्थी**

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.10.2020 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 89/दावा/2017

दुर्गाशंकर आत्मज स्व0 गोपीलाल जाति तेली निवासी कालामाल हाल निवासी ओधन्धा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. लाडबाई पत्नी स्व0 श्री कैलाश चन्द हाल पत्नी भैरूलाल जाति तेली निवासी ग्राम रामपाली तहसील सरवाड जिला अजमेर ।
2. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.10.2020 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 30.07.2021 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से श्री महेन्द्र जैन एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर यह आदेश दिया अपील कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.10.2020 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 30.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

30/7/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा